



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022023-243958
CG-DL-E-28022023-243958

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]
No. 120]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

आय-कर

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 156(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 91(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2023 में:—

(i) पृष्ठ सं. 3 पर, भाग ग, स्तंभ 10, पंक्ति 2 में, “ई फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती” शब्दों का समावेशन किया जाएगा;

(ii) पृष्ठ सं. 10 पर, तालिका के मद (क) के पंक्ति 6 में निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“क्रम सं.”	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2019-20	54ख			
ii	2020-21	54ख”;			

(iii) पृष्ठ सं. 10 पर, मद (ख) के पश्चात् पंक्ति 6 में “कXi + ख” अंकों के स्थान पर “कXi + कXii + ख” का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(iv) पृष्ठ सं. 13 पर,—

(क) तालिका में मद (ख) निम्न पंक्ति 10 में निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“क्रम सं.”	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2018-19	54/54च/54छख			
ii	2019-20	54/54ख/54च/54छख			
iii	2020-21	54ख”;			

(ख) मद (ख) के पश्चात् पंक्ति 10 में “कxii + ख” अंकों के स्थान पर “कXii + कXiii + ख” का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(v) पृष्ठ सं. 24 पर, अनुसूची VI-क, पंक्तियों (प) तथा (फ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

	“प	80प		पक	ई फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती		
	फ	अध्याय VI-क के अधीन कुल कटौतियां (क से पक का योग);					

(vi) पृष्ठ सं. 56 पर,—

(क) पंक्ति 7 में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“7	लाभ तथा हानि लेखा में विकलित व्यय धारा 115खखच अथवा 115खखछ अथवा धारा 115खखज के तहत प्रभार्य आय से संबंधित अन्य शीर्ष के तहत परिकलित आय	क	वेतन	7क
		ख	गृह संपत्ति	7ख
		ग	पूंजी अभिलाभ	7ग
		घ	अन्य स्रोत	7घ
		ङ	धारा 115खखच के अधीन	7ङ
		च	धारा 115खखछ के अधीन	7च
		छ	धारा 115खखज (अधिग्रहण की लागत के अलावा)	7छ”;

(ख) पंक्ति 9 में, शब्दों तथा अंकों के लिए “7च + 8क”, “7च + 7छ + 8क” शब्दों व अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) पृष्ठ 63 पर,—

(क) तालिका के मद (क) पंक्ति 7 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2018-19	54घ/54छ/54छक			
ii	2019-20	54ख/54घ/54छ/54छक			
iii	2020-21	54ख”;			

(ख) मद (ख) के पश्चात् पंक्ति 7 में “Xi + Xii” अंकों के स्थान पर “Xi + Xii + Xiii” का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(viii) पृष्ठ 66 पर,—

(क) तालिका के मद (क) के पंक्ति 11 में निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/ निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2018-19	54/54घ/54च/54छ/54छक			
ii	2019-20	54/54ख/54घ/54च/54छ/54छक			
iii	2020-21	54ख”;			

(ख) मद (ख) के पश्चात् पंक्ति 11 में “xi + xii” अंकों के स्थान पर “xi + xii + xiii” का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(ix) पृष्ठ सं. 83 पर, पंक्ति 3 में निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

3	भाग गक और घ- अन्य आय/ अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती					
	i	80ननक		ii	80ननख	
	iii	80प		iv	ई फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती	
	भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (i, ii, iii और iv का योग)					
						3";

(x) पृष्ठ 100 पर, भाग ग,—

(क) पंक्ति ग18 के पश्चात् तथा पंक्ति ग19 से पूर्व, निम्नलिखित समावेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

“

ग 18क	ई फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती”;	
-------	---	--

(ख) पंक्ति ग19 में “मद शामिल करें ग1 से ग18” शब्दों, व अंकों के लिए “मद शामिल करें ग1 से ग18क” शब्दों व अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(xi) पृष्ठ सं. 102 पर, पंक्ति ड.10 के पश्चात् तथा ड.11 के पूर्व “ड.11 से ड.25 के लिए 31 मार्च, 2022 तक जानकारी प्रस्तुत करें” शब्दों तथा अक्षरों के स्थान पर “ड.11 से ड.25 के लिए 31 मार्च, 2023 तक जानकारी प्रस्तुत करें” शब्दों तथा अक्षरों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(xii) पृष्ठ 121 पर,-

(क) पंक्ति 7 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“7	लाभ तथा हानि लेखा में विकलित व्यय धारा 115खखच अथवा 115खखछ अथवा धारा 115खखज के तहत प्रभार्य आय से संबंधित अन्य शीर्ष के तहत परिकलित आय	क	गृह संपत्ति	7क
		ख	पूँजी अभिलाभ	7ख
		ग	अन्य स्रोत	7ग
		घ	धारा 115खखच के अधीन	7घ
		ङ	धारा 115खखछ के अधीन	7ङ
		च	धारा 115खखज (अधिग्रहण की लागत के अलावा)	7च”;

(ख) पंक्ति 9 में, “7ड. + 8क”, शब्दों व अंकों के लिए “7ड.+ 7च + 8क” शब्दों व अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(xiii) पृष्ठ 127 पर,-

(क) तालिका के मद (क) की पंक्ति 7 के पश्चात् निम्नलिखित तालिका का प्रतिस्थापन किया जाएगा, अर्थात्:—

क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूँजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2018-19	54घ/54छ/54छक			
ii	2019-20	54घ/54छ/54छक”;			

(ख) मद(ग)के पश्चात् पंक्ति 7 में “xi + ख”, शब्दों व अंकों के स्थान पर “xi + xii + ख” का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(xiv) पृष्ठ 130 पर,—

(क) तालिका के मद (क) की पंक्ति 10 में निम्नलिखित तालिका का प्रतिस्थापन किया जाएगा,अर्थात्:—

क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2018-19	54घ/54छ/54छक			
ii	2019-20	54घ/54छ/54छक”;			

(ख) मद(ग) के पश्चात् पंक्ति 10 में “xi + ख”, शब्दों व अंकों के स्थान पर “xi + xii + ख” का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(xv) पृष्ठ 153 पर, पंक्ति ख में, “प्ररूप सं.16ख/16ग/16घ प्रस्तुत है” शब्दों, अक्षरों तथा अंकों के लिए “प्ररूप सं.16ख/16ग/16घ/16ङ. प्रस्तुत है” शब्दों, अक्षरों व अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(xvi) पृष्ठ 183 पर,—

(क) पंक्ति 7 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:—

“7	लाभ तथा हानि लेखा में विकलित व्यय धारा 115खखच अथवा 115खखछ अथवा धारा 115खखज के तहत प्रभार्य आय से संबंधित अन्य शीर्ष के तहत परिकलित आय	क	गृह संपत्ति	7क	
		ख	पूंजी अभिलाभ	7ख	
		ग	अन्य स्रोत	7ग	
		घ	धारा 115खखच के अधीन	7घ	
		ङ	धारा 115खखछ के अधीन	7ङ	
		च	धारा 115खखज (अधिग्रहण की लागत के अलावा)	7च”;	

(ख) पंक्ति 9 में “7ङ. + 8क”, शब्दों व अंकों के स्थान पर “7ङ.+ 7च + 8क” शब्दों व अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(xvii) पृष्ठ 190 पर,—

(क) तालिका के बिंदु(i) के लिए, मद(क) के पश्चात्, पंक्ति 7 के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:—

i	2018-19	54घ/54छ/54छक			
ii	2019-20	54घ/54छ/54छक";			

(ख) मद(ख) के पश्चात्, पंक्ति 7 में “xi + ख”, शब्दों व अंकों के स्थान पर “xi + xii + ख” शब्दों व अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(xviii) पृष्ठ 192 और 193 पर, तालिका के मद(क) में, पंक्ति 10 में निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2018-19	54घ/54छ/54छक			
ii	2019-20	54घ/54छ/54छक";			

(xix) पृष्ठ 193 पर, मद (ख) के पश्चात्, पंक्ति 7 में “xi + ख”, शब्दों व अंकों के स्थान पर “xi + xii + ख” शब्दों व अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(xx) पृष्ठ 219 पर, पंक्ति ख में “प्ररूप सं.16ख/16ग/16घ प्रस्तुत है” शब्दों, अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर “प्ररूप सं.16ख/16ग/16घ/16ड. प्रस्तुत है” शब्दों, अक्षरों व अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा

[अधिसूचना सं. 8/2023 (फा. सं. 370142/51/2022- टीपीएल)]

रमन चोपड़ा, संयुक्त सचिव